भगवान सिंह

बनाम

करतार सिंह व अन्य

14 मई, 2007

(एस.बी. सिन्हा और मार्कडेय काटजू, जे.जे.)

दण्ड़ संहिता, 1860 धारा-306 सपठित धारा-107 भा.दं.सं.- आत्म हत्या के लिए दुष्प्रेरण - आरोप है कि दहेज की मांग के कारण आत्म हत्या की - आरोप धारा-306/498/34 भा.दं.सं. के तहत तय किये गये-उच्च न्यायालय ने धारा - 306 भा.दं.सं. के आरोप को निरस्त कर धारा-498 ए भा.दं.सं. पर आरोप तय करने के निर्देश दिये। अपील में धारा- 306 भा.दं.सं. के तहत लगाये गये आरापो को खारिज करना सहीं ठहराया- केवल मतभेदों के कारण पत्नी को प्रताडित करने पर धारा - 306 सपठित धारा- 107 भा.दं.सं. आकर्षित नहीं होती है, हांलाकि, यदि आत्महत्या मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग के कारण हुयी हो तो धारा-304 बी भा.दं.सं. आकर्षित होती है, लेकिन उक्त आरोप के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योकि उक्त प्रावधान के तहत आरोप तय नहीं किया गया।

विचारण न्यायालय ने चार आरोपियों-प्रत्यर्थीयों के खिलाफ भा.दं.सं.

की धारा-306/498/34 के तहत इस आधार पर आरोप लगाये थे कि मृतक के साथ उचित दहेज नहीं लाने और पुत्री को जन्म देने, जो परिवार के लिए एक दुर्भाग्य लायी, पर लंबे समय तक बुरा व्यवहार और उत्पीडन किया। मृतक को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका उस उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया - धारा-306/34 भा.दं.सं. के अंतगर्त आरोप नहीं बनता है और मामला विचारण न्यायालय को धारा-498ए/34 भा.दं.सं. का आरोप विरचित करने हेतु प्रतिप्रषित किया, इसलिए मृतक के पिता द्वारा वर्तमान अपील की गई।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई।

अभिनिर्धारित: केवल मतभेदों के कारण पति द्वारा पत्नी का उत्पीडन, यदि पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो भा.दं.सं. की धारा-306 सपठित धारा-107 भा.दं.सं. आकर्षित नहीं होती। तथापि यदि आत्महत्या से ठीक पहले दहेज की मांग के कारण हुई है तो धारा-304बी भा.दं.सं. आकर्षित होती, चाहे मामला मानव-वध का हो या आत्महत्या का, वर्तमान मामले में, चूंकि धारा-304बी भा.दं.सं. का आरोप विरचित नहीं किया गया है, जाहिर तौर पर आरोपों को उस प्रावधान के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

निर्णय

01. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा फौजदारी

पुनरीक्षण संख्या-128/2005 में दिनांक 18.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गयी। उक्त निर्णय विद्वान सेशन न्यायाधीश, कड़कड़डूमा, न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी आपराधिक पुनरीक्षण में दिनांक 28.02.2005 को पारित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्व धारा-306, 498/34 भारतीय दण्ड़ संहिता के आरोप विरचित किये गये।

02. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

03. अभियोजन का मामला यह था कि 1 व 2 मार्च, 2000 की मध्य रात्रि में मृतका शोभा के द्वारा रात्रि दो बजें आत्महत्या की गयी। शोभा के द्वारा अपने आपको वैवाहिक घर के कमरें में सिलिंग फैन से अपने आपको लटकाकर आत्म-हत्या की गयी और यह कहा गया कि मृतका की शादी दिनांक 23.01.1992 को मंगल सिंह के साथ हुई थी तथा उनके वर्ष 2019 में एक बच्ची पैदा हुई। इसके तुरन्त बाद एक दुर्घटना में मंगल सिंह लकवाग्रस्त हो गया। यह प्रकट हुआ कि मृतका (शोभा) के द्वारा कोई आत्महत्या का पत्र नहीं छोडा गया। अभियोजन का मामला यह था कि शादी के बाद शोभा को कम दहेज लाने का ताना दिया गया और इसके लिए उसे प्रताड़ित किया गया। मृतका के पिता ने शादी के कुछ दिनों बाद मंगल सिंह को उसके व्यवसाय हेतु पचास हजार रूपये दिये, क्योकि वह बेरोजगार था। अभियोजन का मामला आगे यह था कि मंगल सिंह ने

उक्त पचास हजार रूपये की राशि जुआ व शराब में खर्च कर दी तथा उसके बाद उसने पुनः दो लाख रूपये की मांग की, जो पूर्ण नहीं की जा सकी। अभियोजन का यह भी आरोप था कि शोभा के साथ वर्तमान याची द्वारा गलत व्यवहार किया व उसे प्रताड़ित किया, क्योकि वह बच्ची को जन्म देने के लिए योग्य नहीं थी तथा यह प्रताडना सन 1999 तक जारी रही, जब उसने ऊपर उल्लिखित बच्ची को जन्म दिया तो यह कहकर प्रताडना की गयी कि उसके पति किसी अन्य से विवाहित है। अभियोजन ने यह भी आरोपित किया कि मंगल सिंह बच्ची के जन्म होने के तुरन्त बाद दुर्घटना के कारण लकवाग्रस्त हो गया था। मृतका को यह ताना दिया गया कि उसने ऐसी बच्ची को जन्म दिया, जो याची के लिए बुरे दिन लेकर आयी। अभियोजन के अनुसार इन सब परिस्थितियो के कारण उक्त शोभा के द्वारा आत्महत्या की गयी। उक्त आरोपों के आधार पर विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिया। मैं प्रथम दृष्टया इस मत से सहमत हूँ कि शोभा के साथ लम्बे समय से हुई दुर्व्यवहार व प्रताड़ना के कारण ही वह आत्महत्या के लिए मजबूर हुई।

04. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 28.02.2005 के द्वारा भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा-306, 498/34 के तहत चार अभियुक्त व्यक्तियों करतार सिंह, श्रीमती पन्नो देवी, सुभाष एवं अरविंद के खिलाफ आरोप तय किये है, करतार सिंह, मृतका शोभा का ससुर है, पानो देवी सास, सुभाष व अरविंद देवर है।

स्वीकृत रूप से मृतका शोभा का पति मंगल सिंह की मृत्यु हो चुकी है।

05. उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-306/34 के तहत कोई आरोप नहीं बनता था और उसने आरोप को खारिज किया अर्थात उसने भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा- 498 ए/34 का आरोप विरचित करने के सम्बंध में मामले को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली को वापिस भेजा और हमें बताया गया कि उक्त आरोप तब से विरचित किया गया है।

06. यह अपील मृतका शोभा के पिता भगवान दास द्वारा पेश की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि धारा-306 भारतीय दण्ड़ संहिता का आरोप बनता था इसलिए इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिये था। हम सहमत नहीं है।

07. उत्तरदाताओं के खिलाफ केवल यह आरोप था कि इन्होनें मृतका शोभा को परेशान किया क्योंकि वह पर्याप्त दहेज नहीं लायी थी। इसलिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर है। अतः भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा-306 सपठित धारा-107 की परिधि में आता है।

08. 'उकसाना' शब्द को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा-107 में निम्न रूप से परिभाषित किया है-

किसी चीज को बढावा देना- एक व्यक्ति किसी चीज को करने

में मदद करता है, जो;

प्रथम- उस चीज को करने हेतु किसी व्यक्ति को उकसाता है।

दूसरा- उस चीज को करने के लिए एक या अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ किसी षडयंत्र में शामिल होना है।

तीसरा- किसी कार्य या अवैध चूक से जानबूझ कर उसे करने में सहायता करना है।

स्पष्टीकरण - 1 ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर गलत कथन करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छया से कोई कार्य करता है या प्राप्त करता है, या करवाने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा करने के लिए उकसाने वाला कहा जाता है। बात यह है कि -

स्पष्टीकरण - 2 जो कोई, किसी कार्य के लिए जाने से पहले या उसके समय, उस कार्य के किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ करता है, और इस प्रकार उसके किए जाने को सुकर बनाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह उस कार्य को करने में सहायता करता है।

09. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के बृजलाल बनाम प्रेमचंद व अन्य, ए आई आर (1989) एस सी, 1661 का हवाला दिया। उस मामलें में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि-

जहां इस बात के मजबूत सबूत थे कि आरोपी ने लगातार पैसे की मांग कर अपनी पत्नी के जीवन को असहनीय बना दिया था और उसे स्पष्ट कर दिया था कि अगर वह करना चाहती है, तो वह उसी दिन ऐसा कर सकती है और अपने आप को तुरन्त राहत दे सकती है, जिससे उससे झगडा जाता तथा आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता तो मामला धारा-107 के तहत उकसाने की प्रथम श्रेणी में आयेगा।

10. दूसरी तरफ, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित निर्णय का समर्थन किया। अतः नेताई दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जेटी 2005(3) एस सी 46 में जहॉ एक सुसाइड-नोट शामिल था। यह, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुसाइड-नोट में किसी भी कार्य या घटना का कोई संदर्भ नहीं था, जिससे अपीलार्थी का जानबूझकर कोई कार्य या चूक करना या मृतका को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने हेतु जानबूझकर उकसाना या प्रेरित करना माना जावे।

11. इसी प्रकार, महेन्द्र सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1995 अनुपूरक (3) एससीसी 731, में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया है कि यह सामान्य ज्ञात है कि झगडे में या पलभर में या गुस्से में बोले गये शब्दों से आराम का गहन नहीं माना जावे। उस मामले में अपीलार्थी ने कहा कि 'जाओ और मर जाओ' इस प्रकार के बयान परिणामस्वरूप मर गया और आत्म हत्या कर ली। यघपि सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि धारा-306 भारतीय दण्ड़ संहिता

सपठित धारा-107 भारतीय दण्ड़ संहिता के तहत अपराध गठित नहीं बनता है क्योंकि आरोप का तथ्य मौजूद नहीं है।

12. रणधीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2004 (13) एससीसी 129, में यह मत व्यक्त किया कि किसी व्यक्ति के सम्बंध में यह कहने से पूर्व कि उसने धारा-306 भारतीय दण्ड़ संहिता के अपराध का दुष्प्रेरण किया है, उस कार्य को उकसान या करने को अधिक सक्रिय भूमिका दर्शित करती हो, आवश्यक है।

13. इसी निर्णय में, पश्चिम बंगाल बनाम ओरीलाल जयसवाल 1994(1) एससससी 73 के आधार पर मत व्यक्त किया है कि परिस्थितियों का तथा विचारण में इस निष्कर्ष हेतु पेश की गई साक्ष्य थी कि क्या पीड़िता के साथ की गयी क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, अत्यंत सावधानी से आंकलन करना चाहिये। यदि न्यायालय को यह पता चले कि पीड़िता, जिसने आत्महत्या की है, जिस समाज से सम्बंधित या उसने घरेलू जीवन में सामान्य झगडे, कलह तथा मतभेदो के प्रति अति-संवेदनशील और इस तरह के झगडे, कलह और मतभेदो से उस समाज के किसी व्यक्ति से सामान परिस्थितियों में आत्महत्या के प्रेरित होगा नहीं माना जा सकेगा। न्यायालय की अंतरात्मा इस बात से संतुष्ट नहीं होनी चाहिये कि अभियुक्त पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, उसे दोषी पाया जाना चाहिये।

14. हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया मत सही है। अक्सर ऐसा होता है कि वैवाहिक घर में विवाद व कलह होते है और पत्नी को पति या उसके ससुराल वालें परेशान करते है, हमारी राय में, लेकिन यह अपने आप में और बिना और के धारा-306 सपठित धारा-107 भारतीय दण्ड़ संहिता को लागू नहीं करेगी।

15. यघपि, हमारी राय में, केवल पति द्वारा मतभेदो के कारण पत्नि को उत्पीडन धारा-306 सपठित धारा- 107 भारतीय दण्ड संहिता को आकर्षित नहीं करती, यदि पत्नी ने आत्महत्या की। अतः हम उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये मत से सहमत है। हालांकि हम यह स्पष्ट करते है कि यदि आत्महत्या से ठीक पूर्व दहेज की मांग के कारण थी, तब धारा-304 बी भारतीय दण्ड संहिता आकर्षित हो सकती है। चाहे मामला मानव-वद्य का हो या आत्महत्या का। कंस बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2000(5) एससीसी 207, सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2001(8) एससीसी 633, श्रीमती शांति एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एआई आर 1991।

16. वर्तमान प्रकरण में, धारा- 304 बी भारतीय दण्ड़ संहिता के तहत आरोप नहीं लगाया है, स्पष्ट रूप से अभियुक्त को उक्त प्रावधान के तहत दोषी माना जा सकता।

17. उपरोक्त मतानुसार अपील में कोई बल नहीं है और खारिज की जाती है। हालांकि हम यह स्पष्ट करते है कि पत्नियों का उनके पति या ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न मंजूरी या उचित नहीं ठहरा रहे है। लेकिन केवल इस मामले को विशिष्ट तथ्यों में कानून को स्पष्ट कर रहे है जैसा कि आज है। कानून में संशोधन किया जाना चाहिये या नहीं, यह विधायिका को तय करना है।

याचिका खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार सैनी (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।